

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-3
संख्या: 193 / XVIII(III) / 7(04)2014
देहरादून दिनांक 07 अप्रैल, 2016

कार्यालय आदेश

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के ग्रामों में चकबन्दी हेतु चकबन्दी सलाहकार समिति का गठन पत्र संख्या-25 / XVIII(II) 2014-7(04)2014 दिनांक 02 जनवरी, 2015 के द्वारा करते हुए निम्नांकित को उनके सम्मुख अंकित पदनाम में, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1292 / XVIII(II) / 7(04)2014 दिनांक 16 मई, 2015 एवं संशोधित कार्यालय आदेश संख्या-28-1 / XVIII(III) / 7(04)2014 दिनांक 24 अगस्त, 2016 द्वारा निम्न महानुभाव नामित किये गये थे:-

- (1) श्री केदार सिंह रावत, पूर्व विधायक, उत्तरकाशी- संयोजक / अध्यक्ष
 - (2) श्री गणेश सिंह "गरीब" - सदस्य / सह संयोजक / उपाध्यक्ष
 - (3) श्रीमती रेनु नेगी - सदस्य
 - (4) श्री बची सिंह देव - सदस्य
 - (5) श्री अनिल बहुगुणा - सदस्य
 - (6) श्री अजय रावत - पदेन सचिव
 - (7) श्री दशरथ चन्द्र सहसंयोजक / उपाध्यक्ष
- 2- तात्कालिक प्रभाव से उपरोक्त अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्य एवं पदेन सचिव के पदों पर नियुक्त महानुभावों को पदच्युत किया जाता है।


जे०पी०जोशी
अपर सचिव

पुसो- 193 (1) / तददिनांक / 2015।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- गोपन (मन्त्रि परिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- श्री केदार सिंह रावत, तत्कालीन अध्यक्ष, चकबन्दी सलाहकार समिति।
- 8- समस्त तत्कालीन उपाध्यक्ष / सदस्य / पदेन सचिव द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(आलोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।